



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

बी. एस. मिरगे /B. S. Mirge

27/2023-24/2148/375

जनसंपर्क अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी
Public Relation Officer & Public Information Office

दिनांक : 27/10/2023

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 26.09.2023 (कार्यालय में दिनांक 27.09.2023 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
1.	As per Regulation 22 of UGC (ODL Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 it is clear that degrees awarded through Open and Distance Learning and Online programmes and regular conventional mode are equivalent then why students enrolled under ODL or Online mode are discriminated on the basis of mode of education (Conventiaonal vs ODI or Online) and not allowed or not eligible to get their degrees in University Convocation Ceromony of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidhalaya, Vardha with the conventional students who get their degrees in the same Convocation Ceromony?	विश्वविद्यालय में ODL mode में संचालित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष रूप से उपाधि प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(बी. एस. मिरगे)